दावा 372/13 लीला बनाम सुरेश चंद सुडिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11-7-16	पीठासीन अधिकारी महोदय, दुराव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.2.16 को पेश हो।
24.2.16	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का स्थगित बहिष्कार रखा गया हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.4.16 को पेश हो।
27.4.16	पीठासीन अधिकारी अवकाश/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.6.16 को पेश हो।
27.5.16	राज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र सुडिया पर प्रस्तुत हुई। नोटिस के पश्चात भी पक्ष कारान में राजीनामा / सहमति नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार न्यायालय में दिनांक 4.7.16 को पेश हो। लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा० कलक्टर नगर (भरतपुर)
4.7.16	पीठासीन अधिकारी महोदय, अवकाश/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7.9.16 को पेश हो।
7/9/16	नकल मुद्दी अ० वली हेतु आज ही सम्मन जारी करें बाद वली पत्रावली दि० 23-9-16 को पेश हो।
23.9.16	पीठासीन अधिकारी महोदय, अवकाश/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4.11.16 को पेश हो।
4.11.16	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी वकील को आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने पर भी न [illegible] यह दावा लीला V/S सुरेश चंद सुडिया का [illegible] सातवी, अदम [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:40:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner